रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-561/2023/1684/22-2-2022-17(819)/2021
लखनऊ:दिनांक: 06 सितम्बर, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बुधराम (बन्दी संख्या-8538/2017) पुत्र श्री मनोरथ, निवासी बभनगवां, थाना-अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-30/1981 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 323, 324 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद के आदेश दिनांक 16.11.1981 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24.05.2017 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 23.04.2022 तक 03 वर्ष, 08 माह 25 दिन की अपरिहार तथा 04 वर्ष, 04 माह, 19 दिन की भोगी गयी सपरिहार सजा, दिनांक 23.04.2022 तक 79 वर्ष 10 माह 30 दिन की आयु तथा संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-561/2023/1684(1)/22-2-2022 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।
3- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, अम्बेडकरनगर।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।